web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 25 दिसंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 88

चीन समेत 5 देशों से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर अनिवार्य, केंद्र का राज्यों को निर्देश- ऑक्सीजन सप्लाई करें सुनिश्चित

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। सतर्कता के बीच बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में कोविड न फैले इसके लिए सतर्कता बरतना हमने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम विमानन मंत्रालय से बात करके चीन, जापान, हॉग कॉग, बैंकॉक, दक्षिण कोरिया सभी से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर अनिवार्य करेंगे। भारत में आने के बाद जिनको बुखार होगा या कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए उन्हें क्वारंटीन करने के लिए भी हम आदेश जारी करने जा रहे हैं।' कोरोना के बारे में फैलाई जा रही ही एक खबर का सरकार ने खंडन किया है।

खबरों में कहा जा रहा था कि अधिक सक्रिय मामले वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके बाद ही उन्हें भारत आने की अनुमति मिलेगी। खबर का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए हवाई अड्डों पर रैंडम टेस्टिंग समेत कई अनिवार्य कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रसारित जानकारी सही नहीं है।

ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करें- वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक चि_ी लिखी, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना मैनेजमेंट के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखें।

भारत में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं, सरकार ने किया साफ

कोरोना की नई लहर के कारण चीन की लगातार खराब हो रही स्थिति को देखते हुए भारत भी हरकत में आ गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग का मंत्र दिया है। वहीं, लोगों के मन में कोरोना को लेकर लगाए जाने वाले पाबंदियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ कर दिया है कि देश में कोरोना की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि लॉकडाऊन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सतर्क रहें।

मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान राज्यों को क्रिसमस और नए साल को लेकर मनाए जाने वाले जश्न को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि देश के हालात अभी वैसे नहीं हैं कि कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। समय के साथ लोगों ने भी इस महामारी की गंभीरता को समझा है। वह अपने स्तर पर भी सतर्कता बरत रहे हैं। घबराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर, रसद और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए 27 दिसंबर को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल आयिजत करने की सलाह दी। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोरोनो वायरस के मामलों में हालिया तेजी के मद्देनजर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक डिजिटल बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर और सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि कोविड की रोकथाम व प्रबंधन के लिए पिछले उछाल के दौरान किया गया था।

महत्वपूर्ण एवं खास

रिश्वत मामले में देना बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को 5 साल की सजा

नई दिल्ली (आरएनएस)। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वत मामले में देना बैंक, चांदखेड़ा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक यूबी मकवाना को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अदालत ने उसे जेल की सजा सुनाते हुए अपराध करने के लिए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने 17 जुलाई, 2002 को मकवाना के खिलाफ एक व्यक्ति से अवैध रूप से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने बकाया कर्ज के निपटारे में पक्ष दिखाने के एवज में रिश्वत की मांग की। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 20,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को कसूरवार पाया और उसे दोषी ठहराया।

टिकटॉक स्टार, 9 अन्य को गुजरात पुलिस ने धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया, जमानत पर हुए रिहा

जूनागढ़ (आरएनएस)। सूरत की एक टिकटॉक स्टार और उसके दोस्तों ने करीब 450 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ एक युवक को धमकाने के लिए की, जिसका उसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाकयुद्ध चल रहा था। इससे पहले कि मामला हाथ से निकलता, स्थानीय पुलिस ने तारा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। भेसन पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कीर्ति पटेल और नौ अन्य लोगों को गैरकानूनी तरीके से जमा होने, अपराध करने की आम मंशा से गैरकानूनी तरीके से जमा होने, अपमान करने और उकसाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि कीर्ति पटेल और उनके सभी साथियों को शुक्रवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि कीर्ति और उसके सहयोगी जमन भयानी नाम के व्यक्ति को धमकाने आए थे। जमन भयानी ने कहा कि कीर्ति ने उसे सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि वह उसे पीटेगी, इसलिए वह उस उद्देश्य के लिए सूरत से भेसन तक आई थी। टिकटॉक स्टार के खिलाफ यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले उसे अहमदाबाद पुलिस ने वस्त्रापुर इलाके में एक महिला को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

तेजस्वी यादव के करीबी की दिनदहाड़े हत्या, बदमाशों ने सिर और सीने में दागी चार गोलियां

हाजीपुर (आरएनएस)। बिहार के वैशाली में आज दिनदहाड़े बिजलीकर्मी को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने कर्मचारी के सीने में एक के बाद एक चार गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का करीबी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, वारदात हाजीपुर-लालगंज मुख्य सडक़ मार्ग पर शनिवार सुबह हुई। केदार चौक के पास बिजली कर्मचारी अजय तिवारी अपनी किराना दुकान पर पहुंचे। तभी वहां कुछ बदमाश आ गए। अजय जैसे ही दुकान का शटर खोल रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वे आरोपी फरार हो गए। अजय के सीने और सिर में चार गोलियां लगी। गोली लगने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अजय तिवारी बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी सदर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर की पंचायत समिति सदस्य हैं।

30 फीट गहरी खाई में गिरी विधायक की गाड़ी, हालत गंभीर

सतारा (आरएनएस)। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पुणे-पंढरपुर मार्ग पर बीती रात मालथन के पास भाजपा विधायक जयकुमार गोरे की कार 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में विधायक जयकुमार गोरे समेत चार लोग घायल हुए हैं। विधायक को रिब फ्रैक्चर (पसली) हुआ है और उनके साथ मौजूद दो लोगों को गंभीर चोट आई है। एक और व्यक्ति को हल्की चोट आई है। हादसा शनिवार तडक़े साढ़े तीन बजे हुआ। जब संतुलन खोने के बाद उनकी एसयूवी खाई में जा गिरी। घायल विधायक का पुणे के रूबी अस्पताल में इलाज चल रही है।

कुमुली पहाड़ी दर्रे से 40 फुट गहरी खाई में गिरी कार, सबरीमला के आठ तीर्थयात्रियों की मौत

चेन्नई (आरएनएस)। तमिलनाडु के थेनी जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के कुमुली पहाड़ी दर्रे पर एक कार शनिवार सुबह 40 फुट गहरे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जिला कलेक्टर केवी मुरलीधरन ने इसकी जानकारी दी है।

जानकारी के मुताबिक, हादसे में 9 साल के एक बच्चे समेत दो लोग घायल हैं। अंदीपट्टी के पास संमुगसुंदरपुरम गांव के रहने वाले 10 अयप्पा भक्त सबरीमाला के दर्शन करने के बाद घर जा रहे थे, तभी उनकी कार बीती देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

वे कुमुली पर्वत मार्ग पर ईराइचलपालम के करीब थे, तभी कार करीब 40 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। थेनी के जिलाधिकारी केवी मुरलीधरन ने कहा, थेनी जिले के कुमुली पहाड़ी दर्रे में 40 फुट गहरे गड्ढे में एक कार के गिर जाने से आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

बचाए गए दोनों लोगों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार किया गया।

राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, एग्जाम से 10 मिनट पहले परीक्षा रद्द- 44 हिरासत में

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान में एक बार फिर से एग्जाम का पेपर लीक हो गया, जिस कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। जानकारी के अनुसार शनिवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित करवाई जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यहां युवा के सपनों पर पानी फिर गया। पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले आयोग के चेयरमैन संजय कुमार श्रोत्रिय ने प्रश्न पत्र को निरस्त करने की घोषणा भी कर दी है।

आयोग के चेयरमैन संजय कुमार श्रोत्रिय ने बताया कि उदयपुर के बेकरिया इलाके में बस में सवार कैंडिडेट्स के पास सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होने की जानकारी मिली थी। हालांकि बस को रूकवार जांच एसओजी की ओर से करवाई जा रही है। श्रोत्रिय ने माना कि गड़बड़ी हुई है, ऐसे में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र को फिलहाल निरस्त करवा दिया गया है। किन कारणों से यह चूक हुई, इसकी जांच भी चल रही है।

वहीं उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर आउट मामले में 44 युवकों को पकड़ा है। उदयपुर एसपी के निर्देश पर गोगुंदा-पिंड़वाडा हाइवे पर बेकरिया थाने के बाहर अलसुबह बस को पकड़ा। नाकाबंदी कर पुलिस ने बस में चेकिंग की तो उसमें बैठे कई युवाओं के पास पेपर का कंटेंट मिला। इस पर पुलिस को डाउट हुआ और ओरिजनल पेपर से चेक करवाया तो पेपर से कई सवाल मैच हो गए। उदयपुर एसपी विकास शर्मा आज शाम तक पूरे मामले का खुलासा करेंगे। बस में बैठे युवाओं को एक साथ चलती बस में पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था।

बता दें कि आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र देने अभ्यर्थी सेंटर पहुंच गए थे। लेकिन वहां जाने पर जब उन्हें प्रश्न पत्र निरस्त होने की जानकारी दी गई, जिससे अभ्यर्थियों का बुरा हाल हो गया। कई अभ्यर्थी सेंटर के बाहर रोते हुए और आयोग को कोसते भी नजर आए। अभ्यार्थियों का यहां कहना था कि बार बार राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

वरिष्ठ अध्यापक से पहले 12 नवंबर को राजस्थान में वन रक्षक भर्ती में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद इसे रद्द किया गया था। इस परीक्षा का यह पेपर इसके बाद 11 दिसंबर को दोबारा कैंडिडेट्स ने यह एग्जाम दिया। दोबारा हुए एग्जाम में लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हुए इस एग्जाम को दो पारियों में आयोजित किया गया। इस पेपर के भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबर सामने आई थी।

चंदा कोचर को मुंबई में फ्लैट और धोखाधड़ी से आर्थिक लाभ मिला : सीबीआई

नई दिल्ली (आरएनएस)। सीबीआई ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को धोखाधड़ी के जरिए मुंबई में एक फ्लैट और वित्तीय लाभ मिला है। इससे पहले, दिन में मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सोमवार तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

मामले पर बहस करते हुए सीबीआई के लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

सीबीआई ने अदालत में आरोप लगाया, जब चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक का कार्यभार संभाला, तो वीडियोकॉन की विभिन्न कंपनियों को छह ऋण स्वीकृत किए गए। दो ऋण उन समितियों द्वारा स्वीकृत किए गए, जिनमें चंदा कोचर सदस्य थीं। उन्होंने वीडियोकॉन समूह को ऋण स्वीकृत करने के लिए अन्य समितियों को भी प्रभावित किया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि 2009 में वीडियोकॉन समूह ने नूपावर को 64 करोड़ रुपये का ऋण दिया, जो दीपक कोचर की फर्म है।

सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई स्थित एक फ्लैट, जहां चंदा कोचर रहती थी, वह दीपक कोचर के पारिवारिक ट्रस्ट को सौंप दिया गया था।

सीबीआई ने कहा है, इस फ्लैट की कीमत 1996 में 5.25 करोड़ रुपये थी और 2016 में फ्लैट को महज 11 लाख रुपये में ट्रांसफर किया गया।

सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार, जनवरी 2019 में चंदा कोचर, उनके पति और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी में नूपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया था।

साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का ऋण मिलने के महीनों बाद धूत ने कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया।

स्पेशल कोर्ट ने सोमवार तक सीबीआई हिरासत में भेजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया जहां सीबीआई को 26 दिसंबर, सोमवार तक की हिरासत मिल गई है। सीबीआई ने बैंक अधिकारियों और वीडियोकॉन समूह से जुड़े एक ऋण धोखाधड़ी मामले में कोचर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चंदा कोचर ने एक आपराधिक साजिश रची और छह अलग-अलग कंपनियों को ऋण जारी किया। ऋण की राशि कई करोड़ रुपये थी और उसने अन्य बैंकों पर अपना ऋण पारित करने के लिए दबाव डाला था। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जनवरी 2019 में मुंबई शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।

टेरर फंडिंग केस में एनआईए की कार्यवाई, चंडीगढ़ और कश्मीर में संदिग्धों के परिसरों और ठिकानों पर रेड

नई दिल्ली (आरएनएस)। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) लगातार कार्रवाई कर रही है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में शनिवार की सुबह चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने कहा कि इन मामलों में कुछ संदिग्धों के परिसरों और ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। बता दें कि कल ही एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में 14 जगहों पर छापेमारी खत्म की थी। केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यकों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने वाले विभिन्न आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को फैलाने में शामिल लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई थी। शुक्रवार को कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, सोपोर और जम्मू में एनआईए ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जांच एजेंसी को इस दौरान अलग-अलग परिसरों से विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जैसे कि डिजिटल डिवाइस, सिम कार्ड और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस मिले थे। एजेंसी ने कहा है कि यह मामला आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित है। एनआईए ने कहा था कि वे जम्मू-कश्मीर में साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर आतंकवादी हमले करने, अल्पसंख्यकों, सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने में शामिल हैं।

गुस्से में टीचर ने खोया आपा, शरारत करने पर छात्र को दूसरी मंजिल से उलटा लटकाया; लड़कियों को भी पीटने का आरोप

पाटन (आरएनएस)। गुजरात के पाटन में आठवीं कक्षा के एक छात्र को उसके शिक्षक ने शारीरिक दंड दिया और दूसरी मंजिल की बालकनी से उल्टा लटका दिया। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने छात्र के माता-पिता को आश्वासन दिया है कि जांच के बाद उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाटन के एमएन हाई स्कूल के प्रिंसिपल वसंत पटेल ने कहा कि छात्र के माता-पिता चंद्रिकाबेन और प्रह्लादभाई रावल ने शुक्रवार को शिकायत की थी कि शिक्षक मयंक पटेल ने उनके बेटे को शारीरिक दंड दिया और उसे स्कूल की दूसरी मंजिल से कुछ देर के लिए उल्टा लटका दिया, सिर्फ इसलिए कि वह क्लास में शरारत कर रहा था।

उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि अगर शिक्षक ने छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया है तो जांच कराकर अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। माता-पिता ने मीडियाकर्मियों को बताया कि मयंक पटेल ने छात्र को दंडित किया। उनकी शिकायत यह है कि अगर उनका बेटा क्लास में शरारत करता तो शिक्षक उसे डांट सकते थे या अनुशासनहीनता की सूचना भी दे सकते थे।

छात्र का आरोप है कि यह पहली बार नहीं है जब शिक्षक मयंक पटेल सभी छात्रों, यहां तक कि लड़कियों को भी पीटता है, लेकिन इस बार शिक्षक ने न केवल उसे उल्टा लटका दिया, बल्कि कुछ देर तक उसकी पीठ पर भी वार किया।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट का बड़ा आदेश, करवाया जाएगा शाही ईदगाह का सर्वेक्षण

मथुरा (आरएनएस)। यहां की स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहां भी अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

कोर्ट ने अमीन को 20 जनवरी तक नक्शे सहित शाही ईदगाह विवादित स्थल की सर्वेक्षण रिपोर्ट कोर्ट को सौंपन को कहा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर से श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्म हो गया है।

वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में यह दावा किया था। इसमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोडक़र ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है।